

## प्रेस नोट दिनांक- 06.02.2024

### #OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर अभियुक्तों को मा० न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी ०३- ०३ वर्ष का कारावास तथा ५,०००- ५,०००/- रूपये का दिया गया अर्थदंड ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन व मानीट्रिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर अभियुक्तों को मा० न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी ०३- ०३ वर्ष का कारावास तथा ५,०००- ५,०००/- रूपये का दिया गया अर्थदंड ।

#### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक ३०.११.१९९७ को अवैध वसूली के संबंध में थाना सिविल लाइन पर मु०अ०सं० ३७५/१९९७ धारा ३(१) गैंगस्टर अधिनियम पजीकृत किया गया था ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस टीम पैरोकार का० मुलायम सिंह एवं मानीट्रिंग सैल व ए०डी०जी०सी० श्री कृष्णा सहाय द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा० न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरूप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को आज दिनांक ०६.०२.२०२४ को अन्तर्गत धारा ३(१) गैंगस्टर अधिनियम में मा० न्यायालय एडीजे –१०/गैंगस्टर एक्ट इटावा द्वारा ०३- ०३ वर्ष का कारावास तथा ५,०००- ५,०००/- रूपये का दिया गया अर्थदंड ।

#### सजायाफ्ता अपराधी-

- १.दिनेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी दयानत थाना सिविल लाइन जनपद इटावा ।
- २.ओमप्रकाश पुत्र स्व० रामचरन निवासी दयानत थाना सिविल लाइन जनपद इटावा ।